



प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2019

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (तकनीकी), पिकप के पत्र संख्या-इन्से-10-19/ (आई0आई0पी0एस0)-2012/2083 दिनांक 20-12-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 1,80,00,00,000.00 (रु0 एक अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 30,00,00,000.00 (रु0 तीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- 1- किसी भी दशा में धनराशि पिकप के खाते में ट्रान्सफर नहीं की जायेगी।
- 2- स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
- 3- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
- 4- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
- 5- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- पिकप द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण की अदायगी किये जाने के 02-03 कार्य दिवसों के अन्दर ही धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- 7- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
- 8- धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उसके तत्काल उपभोग की आवश्यकता हो।
- 9- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
- 10-स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 11-इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।
- 12-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-193/दस-19 दिनांक 25-03-19 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

उप सचिव।

संख्या:02/2019/4302(1)/77-6-19-4(बजट)/16टीसी तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 5- निदेशक, वितीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 8- नियोजन अनुभाग-1/4
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
उप सचिव।